

प्रेस नोट दिनांक-सराहनीय कार्य दिनांक- 27.05.2022

प्रतिबन्धित पशुओं के मांस की बिक्री हेतु ले जाते गौतस्कर गिरफ्तार,

प्लास्टिक के 09 बोरो में 03 क्विंटल 50 किलोग्राम गौमांस व सहित तमंचा व पिकप गाड़ी बरामदा

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहांपुर के निर्देशन में जनपद में चलाये जा रहे अभियान अवैध असलाह की बरामदगी व गिरफ्तार वांछित / एनबीडब्लू वारंटी अभियुक्त के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के पर्यवेक्षण में एवं थानाध्यक्ष मिर्जापुर के नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त कादिर खां उर्फ कादिर अली पुत्र मकबुल खां उम्र – 38 वर्ष निवासी ग्राम बन्दरखेड़ा थाना – जहानगंज जिला फर्रुखाबाद हाल निवासी हैवतपुर गढ़िया काशीराम कालोनी ब्लॉक नं0 – 19/300 थाना मऊदरवाजा जनपद – फर्रुखाबाद को **दिनांक 26.05.2022 को समय 14.40 बजे** **ग्राम उदयपुर भूडा तिराहे से समय करीब 14.40 बजे** गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त को समय से मा0 न्यायालय में पेश किया गया। इसका एक साथी अतहर हुसैन उर्फ मुन्ना मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा।

अभि0 से गौमांस के बारे में पूछताछ की गयी तो बताया मैं व अतहर हुसैन उर्फ मुन्ना अण्डेवाला पुत्र अख्तर हुसैन निवासी ग्राम तुर्कीपुर थाना मऊदरवाजा हाल पता मोहल्ला भाव टोला चौकी बजरिया थाना मऊदरवाजा जिला फर्रुखाबाद गौमांश फर्रुखाबाद से लेकर बेचने आते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

कादिर खां उर्फ कादिर अली पुत्र मकबुल खां उम्र – 38 वर्ष निवासी ग्राम बन्दरखेड़ा थाना – जहानगंज जिला फर्रुखाबाद

भागे हुये व्यक्ति का विवरण

अतहर हुसैन उर्फ मुन्ना अण्डेवाला पुत्र अख्तर हुसैन निवासी ग्राम तुर्कीपुर थाना मऊदरवाजा हाल पता मोहल्ला भाव टोला चौकी बजरिया थाना मऊदरवाजा जिला फर्रुखाबाद

बरामदगी का विवरण

1- 03 क्विंटल 50 किलोग्राम गौमांस प्लास्टिक के 09 बोरो में

2- एक अदद तमंचा व 02 अदद कारतूस जिंदा 315 बोर व

3- एक गाड़ी पिकअप नं0 – UP74T6074

पंजीकृत अभियोग विवरण

1. मु0अ0सं0 0174/2022 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम
2. मु0अ0सं0 0175/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 अजब सिंह
2. उ0नि0 इन्द्रजीत सिंह
3. HC 345 सौरभ कुमार
4. का0 2020 अवि तोमर
5. का0 2686 मनीष कुमार